FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

राधाकिशन बनाम भैरूलाल

किस्म मुकदमा धारा - 88 - 188 नं. 107 सन् 2008

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/8/25		

पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र कायम मुकाम रिकॉर्ड पर लेने बाबत पेश हुई। वादीगण की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र कायम मुकाम रिकॉर्ड पर लेने बाबत पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण के पिता, पिता राधाकिशन का स्वर्गवास दिनांक 05.12.2019 को हो गया है जिन्हे रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण गरीब, ग्रामीण अशिक्षित मजूदर पेशा व्यक्ति है। जिनको वाद की कोई जानकारी नही थी दिनांक 12.01.2021 को वकील का पत्र प्राप्त हुआ, जिस पर प्रार्थीगण वकील साहब से मिले और वकील साहब द्वारा राधाकिशन जी के बारे में पूछने पर मृत्यु की सूचना दिनांक 17.01.2021 को प्रदान की। जिस पर वकील साबह द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र देकर शीघ्रता से प्रार्थना पत्र पेश हैं। प्रार्थीगण को पूर्व में वाद की अथवा वकील साबह की जानकारी नही थी, इस कारण जानकारी की तिथि 12.01.2021 से प्रार्थना पत्र अवधि मध्य पेश है। प्रार्थीगण कानून की जानकारी नही रखते है अशिक्षित, गरीब होने से मृत्यु की तिथि से दिनांक 12.01.2021 तक की अवधि कंडोन फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र कायम मुकाम रिकॉर्ड पर लेने बाबत पेश कर निवेदन किया गया है कि तीन वादीगण द्वारा सम्मानीय न्यायालय में यह दावा प्रस्तुत किया गया है। वादी राधाकिशन के पुत्र महेन्द्र, मनोज एवं राकेश में से कोई भी एक पुत्र हर तारीख पेशी पर वादी राधाकिशन के साथ न्यायालय में आते रहे है। प्रार्थीगण को उक्त वाद विचाराधीन होने की पूर्व से ही पूर्ण जानकारी थी। कानून द्वारा निर्धारित अवधि में प्रार्थीगण द्वारा कायमी मुकामी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किये जाने से दावा वादी स्वतः ही अबेट हो गया है। वादी नं0 2 व 3 द्वारा कायम मुकामी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। उन्हे वाद विचाराधीन होने की शुरू से ही जानकारी है प्रार्थीगण ने द्वारा अबेटमेट सेट असाईड की भी प्रार्थना नही की गई है। प्रार्थीगण द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवधि बाधित प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी अबेट हो जाने से अबेटमेंट के आधार पर खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्षकारान की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थीगण गरीब, ग्रामीण अशिक्षित मजूदर पेशा व्यक्ति है। जिनको वाद की कोई जानकारी नही थी दिनांक 12.01.2021 को वकील का पत्र प्राप्त हुआ, जिस पर प्रार्थीगण वकील साहब से मिले और वकील साहब द्वारा राधाकिशन जी के बारे में पूछने पर मृत्यु की सूचना दिनांक 17.01.2021 को प्रदान की। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश कर वादी के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया गया है कि तीन वादीगण द्वारा सम्मानीय न्यायालय में यह दावा प्रस्तुत किया गया है। वादी नं0 2 व 3 द्वारा कायम मुकामी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। उन्हे वाद विचाराधीन होने की शुरू से ही जानकारी है प्रार्थीगण ने द्वारा अबेटमेट सेट असाईड की भी प्रार्थना नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाते है कि हस्तगत वाद पत्र राधाकिशन, रतन, लटूर पिसरान भुवाना जाति भील के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त वाद की जानकारी तीनो वादीगण को है। वादी नं0 2 व 3 वादी नं0 1 के भाई है जिन्हें वादी नं0 1 की मृत्यु एवं हस्तगत वाद के जैरकार होने की पूर्ण जानकारी थी। पूर्ण जानकारी होने के पश्चात भी प्रार्थीगण एवं वादी नं0 2 व 3 के द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रार्थना पत्र कायम मुकाम रिकॉर्ड पर लेने बाबत पेश नही किया गया और साथ ही प्रार्थीगण की ओर से निर्धारित समयावधि में प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पेश नही करने का कोई स्पष्ट एवं युक्तियुक्त कारण भी नही बताया गया है केवल मात्र अपने अशिक्षित एवं गरीब होने का कथन किया है जो उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीगण की ओर से डिले को कंडोन करने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम भी प्रार्थना पत्र कायम मुकाम रिकॉर्ड पर लेने बाबत के साथ प्रस्तुत नही किया है और ना ही प्रार्थना पत्र अबेटमेंट सेटअसाईड प्रस्तुत किया है जिस कारण से हम प्रार्थना पत्र कायम मुकाम रिकॉर्ड पर लेने बाबत स्वीकार किया जाना उचित नही पाते है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कायम मुकाम रिकॉर्ड पर लेने बाबत अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं हस्तगत वाद पत्र वादी नं0 1 राधाकिशन की हद तक अबेट किया जाता है। पत्रावली जिरह प्रतिवादी वास्ते दिनांक 19/9/25 को पेश हो।	